Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2018 = 6.371, www.srjis.com
PEER REVIEWED JOURNAL, MAY-JUNE, 2018, VOL- 5/45

बाल अपराध की प्रवर्तमान पारिवारिक पृष्टभूमि ।

भरत कुमार पंडा, Ph. D.

सहायक प्रोफेसर , महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)

Abstract

बालक द्वारा प्रकट व्यवहार प्रवृत्ति को बाल अपराध के लिए आधार मानते हैं,जैसे आवारागर्दी करना,स्कूल से अनुपस्थित रहना,माता-पिता एवं संरक्षकों की आज्ञा न मानना,अश्लील भाषा का प्रयोग करना,चरित्रहीन व्यक्तियों से संपर्क रखना आदि समाज विरोधी आचरण करने वाला एवं कानून की अवज्ञा करने वाला बालक बाल अपराधी होता है जैसा कि मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय अध्ययनों द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि मनुष्य में अपराध वृत्तियों का जन्म बचपन में ही हो जाता है । आँकड़ों द्वारा यह तथ्य प्रकट हुआ है कि सबसे अधिक और गंभीर अपराध करने वाले किशोरावस्था के ही बालक होते हैं । इसके लिए प्रायः सभी विद्यालय को ही उत्तरदायी मानते हैं । परन्तु विद्यालय के अलावा परिवार भी विद्याकेंद्र है । अपितु परिवार सभी केलिए प्रथम पाठशाला एवं माता प्रथम गुरूः पिता द्वितीयः । भारतीय संयुक्त परिवार इसका आदर्श स्वरूप है । अतः बाल अपराध रोग का निदान एवं उपचार करने हेतु सांप्रतिक पारिवारिक पृष्ठभूमी का परिशीलन के साथ आवश्यक सुधार के प्रति यत्नवान होना होगा ।

Keywords - ***बाल अपराध, परिवार***

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

प्रस्तावना

जब किसी बच्चे द्वारा कोई कानून-विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे किशोर अपराध या बाल अपराध कहा जाता है । कानूनी दृष्टिकोण से बाल अपराध 8 **वर्ष से अधिक तथा** 16 **वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कानूनी विरोधी कार्य है जिसे कानूनी कार्यवाही के लिये बाल न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है । भारत में बाल न्याय अधिनियम** 1986 **(संशोधित**2000**एवं** 2015**)के अनुसार**16 **वर्ष तक की आयु के लड़कों एवं** 18 **वर्ष तक की आयु की लड़कियों के अपराध करने पर बाल अपराधी की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है । बाल अपराध की अधिकतम आयु सीमा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है । इस आधार पर किसी भी राज्य द्वारा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत बालक द्वारा किया गया कानूनी विरोधी कार्य बाल अपराध है ।**

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

बाल अपराध के प्रकार

बाल अपराध विभिन्न ढंग के आचरण या व्यवहार के तरीके प्रदर्शित करता है । संरुपो में प्रत्येक का अपना सामाजिक संदर्भ होता है, कारण होते हैं, जो तथाकथित रूप से उसे उत्पन्न करते हैं और प्रत्येक संरूप के लिए उसके रोकने का या उपचार हेतु उपयुक्त तरीके सुझाए जाते हैं । हावर्ड बेकर (1996) **ने बाल अपराध के चार प्रकारों का उल्लेख किया है** : **(अ) व्यक्तिगत बाल अपराध, (ब) समूह द्वारा समर्थित बाल अपराध, (स) संगठित बाल अपराध, और (द) परिस्थितिवश बाल अपराध ।**

व्यक्तिगत बाल अपराध

यह उस बाल अपराध की ओर संकेत करता है, जिसमें अपराध कार्य करने में केवल एक बालक ही लिप्त होता है और उसका कारण उस बाल अपराधी के व्यक्तित्व में होता है । इस आपराधिक व्यवहार की मनोचिकित्सकों ने अधिकांश व्याख्याएँ दी हैं । उनका तर्क है कि बाल अपराध मनोवैज्ञानिक समस्याओं के कारण होता है, जो मुख्य रूप से दोषपूर्ण, अनुचित, रोगात्मक पारिवारिक अंत:क्रिया से उत्पन्न होता है, जो हिली और ब्रौनर, एल्बर्ट बांदुरा और रिचर्ड वाल्टर्स, एडिवन पावर्स और हेलन विटमर, और हेनरी मेयर, एडगर बोर्गेटा के अनुसंधान इस उपागम पर आधारित हैं ।

समूह द्वारा समर्थित बाल अपराध

इस प्रकार के अपराध दूसरों की संगति में किए जाते हैं और इसका कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व में स्थित नहीं होता और न ही अपराधी के परिवार में, अपितु व्यक्ति के घर और पड़ोस की संस्कृति में होता है । थ्रेशर एवं शॉ और मैके के अध्ययन इस प्रकार के अपराध पर किए गए हैं । किशोरों का अपराधी हो जाना क्या कारण होता है, इसका पता लगाने के दौरान उन्होंने यह मुख्य निष्कर्ष निकाला कि यह उनका पहले से ही हो चुके अपराधियों के संपर्क और संगति के कारण होता है ।

संगठित बाल अपराध

यह उन बाल अपराधों का उल्लेख करता है जो औपचारिक रूप से संगठित गुटों को विकसित करके किए जाते हैं । इन बाल अपराधों का विश्लेषण अमरीका में 1950 **के दशक में किया गया और अपराधी उपसंस्कृति की अवधारणा को विकसित किया गया । यह अवधारणा उन मूल्यों और प्रतिमानों का उल्लेख करती है, जो कि गुट के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित** (guide) **करते हैं, अपराध करने को प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे कार्यों के आधार पर प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं तथा उन लोगों से विशिष्ट संबंधों का उल्लेख करते हैं जो उन समूह के कार्यों से बाहर होते हैं और जो समूह के प्रतिमानों से प्रभावित होते हैं ।**

परिस्थितिवश बाल अपराध

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

परिस्थितिवश अपराध एक भिन्न परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है । यहाँ यह मान्यता है कि अपराध की जड़ें गहरी नहीं होती और अपराध के लिए प्रेरणाएँ और उसे नियंत्रित करने के साधन बहुधा अपेक्षाकृत सरल होते हैं । एक युवा व्यक्ति अपराधिक कार्य अपराध के प्रति गहरी वचनबद्धता के बिना करता है क्योंकि उसमें मनोवेग नियंत्रण कम विकसित होता है या पारिवारिक नियंत्रण कम सुदृढ़ होते हैं । फिर भी परिस्थितिवश बाल अपराध की अवधारणा अविकसित है और अपराध कारणत्व की समस्या में इसे अधिक प्रासंगिक नहीं माना जाता ।

बाल अपराध के प्रभावी कारक

कई विद्वान इस बात से सहमत हैं कि बालकों के अपराधों में कई कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है । हम इन कारकों को दो समूहों में बाँट सकते हैं : व्यक्तिगत कारक और वातावरणीय कारक । व्यक्तिगत कारक के अंतर्गत विनम्रता, अवज्ञा (defiance), **विरोध, आवेगशिलता** (impulsiveness), **असुरक्षा की भावना, भय, आत्मनियंत्रण का अभाव, और भावनात्मक द्वंद्व** (emotional conflict) **जैसी व्यक्तिगत विशेताएँ सम्मिलित हैं, जबकि दूसरे को कई समूहों में उपविभाजित कर सकते हैं । किशोरावस्था में व्यक्तित्व के निर्माण तथा व्यवहार के निर्धारण में वातावरण का बहुतांश मे महत्व होता है;अतः अपने उचित या अनुचित व्यवहार के लिये किशोर बालक स्वयं नहीं उसका वातावरण उत्तरदायी होता है । इस कारण अनेक देशों में किशोर अपराधों का अलग न्याय विधान है;उनके न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधिकरण बालमनोविज्ञान के जानकार होते है । वहाँ बाल-अपराधियों को दंड नहीं दिया जाता,बल्कि उनके जीवन वृत्त** (Case History)**के आधार पर उनका तथा उनके वातावरण का अध्ययन करके वातावरण में स्थित असंतोषजनक, अपराधों को जन्म देनेवाले तत्वों में सुधार करके बालकों के सुधार का प्रयत्न किया जाता है । अपराधी बालकों के प्रति सहानुभूति,प्रेम,दया और संवेदना का व्यवहार किया जाता है । बालकों के जीवन में व्यक्तिगत वं वातावरणीय दोनों कारके आधार प्रमुख रुप मे परिवार ही होता है । बालक के विनम्रता, अवज्ञा** (defiance), **विरोध, आवेगशिलता** (impulsiveness), **असुरक्षा की भावना, भय, आत्मनियंत्रण का अभाव, और भावनात्मक द्वंद्व** (emotional conflict) **आदि व्यक्तिगत कारकें परिवार जनों के अनुकरण, व्यवहार-प्रति व्यवहार एवं संगतों से प्रस्थापित होते हैं । बाल अपराध को पारिवारिक वातावरण धनात्मक एवं ऋणात्मक उभय रुप में प्रभावित करता ही है ।**

बाल अपराध एवं परिवार

हीली और ब्रौनर (1936) **ने अपराधी युवाओं की उनके गैर अपराधी सहोदर भाइयों से तुलना की उनके** 13.0 **प्रतिशत गैर-अपराधी भाइयों की तुलना में** 90.0 **प्रतिशत से अधिक अपराधियों का घरेलु जीवन**

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

दुःखी था वे अपने जीवन की परिस्थितयों से असंतुष्ट थे । दुःख की प्रकृति भिन्न-भिन्न थी । कुछ सोचते थे, कि उनके माँ बाप ने उन्हें अस्वीकार कर दिया है और अन्य भाइयों की तुलना में वे अपने को हीन समझते थे या उनके प्रति ईर्ष्या रखते थे । वे अपराध इसलिए करते थे क्योंकि इसमें वे अपनी समस्याओं का समाधान पाते थे, क्योंकि इससे (अपराध करने से) वे या तो अपने माता- पिता का ध्यान आकर्षित करते थे या अपने समकक्ष व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त करते थे । बाद में किए गए अध्ययनों ने पारिवारिक संबधों के उन महत्वपूर्ण पहलुओं की पहचान की जिनके कारण अपराध होते हैं । बंडुरा और बाल्सर्ट ने श्वेत बाल अपराधियों के आक्रामक कार्यों की ऐसे गैर-अपराधी लड़कों के ऐसे ही कार्यों से तुलना की जिनमें आर्थिक कष्ट का कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता था । उन्होंने पाया की अपनी माताओं से संबंधों की अपेक्षा पिता-पुत्र संबंध अपराध में अधिक निर्णायक प्रतीत होते थे क्योंकि अपराधी लड़के अपने पिताओं में अच्छे आदर्शों के अभाव के कारण नैतिक मूल्यों का अंतःकरण नहीं कर पाए थे । इसके अतिरिक्त उनका (पिताओं का) अनुशासन भी अधिक कठोर था ।

कई सिद्धांतवादी बाल अपराध के विकास में परिवार को सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं । वर्ग की प्रतिष्ठा, शक्ति समूह-बंधन (pawer group relation) **और वर्ग की गतिशीलता** (class mobility) **भी परिवार के वातावरण से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संबंधित है । मनोवैज्ञानिक जैसे इरविन काफमेन** (1959), **सिडनी बर्मन** (1964) **और ऑगस्ट आइछोर्न** (1969) **अपराध के कारणों में मुख्यतः बचपन अनुभवों, भावात्मक वंचनाओ** (deprivations), **बच्चे के पालने की प्रक्रियाओं जो व्यक्तित्व के निर्माण प्रभावित करते हैं, को महत्व देते हैं । मनोवैज्ञानिकों के अनुसार असामान्य** (abnormal) **व्यवहार की अभिव्यक्ति, जो असामाजिक रूप में व्यक्तिगत चरो** (variables), **जैसे प्रेरणा** (motivation), **प्रवृत्ति** (drive), **मूल्य और आवश्यकताओं की पहचान को महत्व देते हैं ।**

पारिवारिक वातावरण जैसा कि पारिवारिक तनाव, माता-पिता द्वारा अस्वीकृति (rejection) **,माता-पिता का नियंत्रण और पारिवारिक आर्थिक स्थिति टुटा परिवार, परिवार प्रतिवेशी एवं परिवार का मनोरजन माध्यम बहुतांश मे वालक में अपराध प्रवृत्ति को परोक्ष रुप में प्रेरित करते हैं ।**

टूटा परिवार (broken-family) **जहाँ माता-पिता में से कोई भी एक माता-पिता के संबध विच्छेद होने या तलाक या मृत्यु होने के कारण से अनुपस्थित होता है तथा बच्चे को प्रेम देने और उसे नियंत्रण में रखने में असफल रहता है । शेल्डन और ग्लूएक** (1968) **ने बाल अपराधियों में से आधे से अधिक का लालन पालन माता पिता में से किसी एक ने किया था । जबकि गैर बाल अपराधियों में केवल** 10 **प्रतिशत का ही लालन पालन माता पिता में से एक ने किया था । मोनेहन** (1957), **ब्राउनिंग** (1960), **गोल्ड मार्टिन,**

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

स्लोकम एवं स्टोन (1965) **और पीटरसन एवं बेकर** (1965) **ने भी पाया कि गैर बाल अपराधियों की अपेक्षा बाल अपराधियों की कहीं अधिक संख्या भिन्न-भिन्न परिवारों से थी ।**

1.4.1.2 **पारिवारिक तनाव** (family tension)**भी अपराध व्यवहार में एक प्रमुख योग देने वाला कारक होता है । अब्राहमसेन** (1960) **ने पाया कि पारिवारिक तनाव विरोध और घृणा से उत्पन्न होता है । तनाव से भरे हुए पारिवारिक वातावरण में बच्चा सुरक्षित और संतुष्ट महसूस नहीं करता । लंम्बे समय से चलता तनाव परिवार की समरसता को कम कर देता है और माता-पिता के संतोषजनक शिशुपालन और पारिवारिक समस्या निवारण के लिए प्रेरक वातावरण प्रदान करने की क्षमता को प्रभावित करता है । मैककार्डस और जोला** (1959) **ने भी पाया की समरस परिवार कम बाल अपराधियों को जन्म देते हैं । वे परिवार, जहाँ तनाव और विरोध व्याप्त होते हैं, भविष्य के बाल अपराधियों के अच्छे जन्म स्थल बन जाते हैं । ग्लुएक्स** (1968) **पाया कि सात गैर-अपराधी परिवारों में से एक की तुलना में तीन बाल अपराधी परिवारों में तनाव से भरे और झगड़ालू संबंधों के कारण परिवार को छोड़ दिया ।**

न्यूक्लियर परिवार (Nuclear family)

इस प्रकार की पारिवारिक संकल्पना की वजह से बालकों माता-पिता के अलावा अन्य जनों से समायोजन कर नहि पाता है तथा दादा-दादी जैसे अनुभव संपन्न परिवार जनों के स्नेहपूर्ण सिख का अभाव रहता । जिससे विविन्न आयुवर्ग के लोगों के साथसमन्वय करने का अभ्यास हो ही नही पाता है तथा समाज के अनुकुल व्यवहार करने में असमर्थ होता है।

माता-पिता की अस्वीकृति

या भावनात्मक वंचना का बाल अपराध से गहरा संबंध होता है । यदि अस्वीकृत अथवा उपेक्षित बच्चे को घर में प्रेम और स्नेह और इसके साथ-साथ समर्थन नहीं मिलेगा और उसकी देख-रेख नहीं होगी तो वह अक्सर परिवार के बाहर विचलित प्रकृति समूहों का आश्रय लेगा । अध्ययनों ने पाया है कि माता-पिता और बच्चे एक दूसरे की अस्वीकृति सकारात्मक संबंध पर सुस्पष्ट रूप से प्रभाव डालती है और अंत में इसका परिणाम अपराधी व्यवहार होता है । जैन्किंस (1957) **ने पाया की माता-पिता की अस्वीकृति का बच्चे की अंतरात्मा के विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है । उसने कहा है कि समुचित अंतरात्मा का अभाव और उसके साथ अस्वीकृत किए जाने से उत्पन्न विरोध की भावनाएँ आक्रामकता की ओर ले जाती है । एंड्री** (1960) **ने भी माना कि गैर अपराधियों की तुलना में अपराधियों को मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही रूप में माता-पिता का प्रेम कम मिलाता है ।**

अमनवैज्ञिक/अनुचित अनुशासन

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

जिस प्रकार टूटे परिवार, पारिवारिक तनाव और माता-पिता द्वारा अस्वीकृति पारिवारिक संरचना की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं, उसी प्रकार माता-पिता का नियंत्रण या अनुशासन के रूप भी अपराधी व्यवहार के विकास में अपनी भूमिका अदा करता हैं ।बालकों के लालन-पालन में माता-पिता द्वारा अनुशासन को कम लाया जाता हैं, वह परिस्थिति और बच्चे के अनुसार भिन्न होता है । अनुशासन के प्रति अधिकारवादी (authoririan) उपागम बच्चे के समकक्ष समूहों के संबंधों को प्रभावित करता है क्योंकि इस कारण बच्चा अपने साथ के बालकों के साथ मुक्त भाव से अन्त: क्रिया नहीं कर पाता । इसके विपरीत बहुत अधिक उदारता से बच्चे में अपने व्यवहार को संचालित करने के लिए आवश्यक नियंत्रण उत्पन्न नहीं होंगे । अनुचित अथवा पक्षपाती अनुशासन से बच्चे में समुचित अंतर-आत्मा नहीं बन पाती । वह अनुचित अनुशासन को ऐसा आदर्श (model) बनने से रोकता है जिसका बच्चा अनुकरण कर सके । यह (अनुचित अनुशासन) किशोर (adolescent) को भी अपने माता-पिता को पीड़ा नहीं पहुँचाने और अपराधी व्यवहार नहीं अपनाने की इच्छा को निर्बल करता है ।

भावात्मक अस्थिरता

और व्यवहारिक गड़बड़ियाँ (behavioural disturbance) : ये यदि एक या दोनो माता-पिता में होती हैं, तो इससे भी बच्चे में अपराधी व्यवहार उत्पन्न होता है । उन माता-पिता का बच्चा जो निरंतर झगड़ते रहते हैं, अक्सर परिस्थिति का अनुचित लाभ उठाता है और बहुत अधिक दुर्व्यवहार करने के उपरांत भी बच निकालता है ।

पारिवारिक अर्थशास्त्र

भी बाल अपराध में एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाला कारक है । बच्चे की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में परिवार की असमर्थता असुरक्षा उत्पन्न कर सकती है और बच्चे पर परिवार के नियंत्रण की मात्रा को प्रभावित कर सकती है क्योंकि वह प्रायः सांसारिक सहारा और सुरक्षा घर से बाहर खोजता है । पीटरसन और बेकर (1965) अपने स्वयं के बारे में विचार को प्रभावित कर सकते है और घिनौनी वस्तु के रूप में सामने आकर उन्हें घर से परे कर सकते हैं । फिर भी यह बतलाना आवश्यक है कि आर्थिक स्थिति और भौतिक संपतिया मध्यम और उच्च वर्ग में व्याप्त अपराध को स्पष्ट नहीं करती । परिवार की आर्थिक स्थिति एक बहु समस्यात्मक परिवार के कई योगदान देने वाले कारकों में से एक हो सकती है ।

परिवार के पडोस

बालकों पर पड़ोस का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में अधिक होता है । परिवार के बाद बच्चा दिन का बड़ा भाग अपने पड़ोस में बिताता है । पड़ोस मूल व्यक्तित्व की आवशयकताओं में रूकावट

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

उत्त्पन्न कर, सांस्कृतिक संघर्षों को उत्पन्न करके ओर असामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देकर अपराध की ओर ले जाने में अपना योगदान दे सकता है । दूसरी ओर वह सामाजिक मूल्यों का रख रखाव करके घर के प्रभाव को बढ़ा सकता है । घनी आबादी वाले पड़ोस, जहाँ मनोरंजन की सुविधाएँ अपर्याप्त होती हैं, बच्चों के खेलने की प्राकृतिक प्रबल इच्छाओं का दमन करते हैं और अपराधी गिरोहों के बनने को प्रोत्साहित करते हैं । सिनेमा घर, सस्ते होटल और विडियो हाल जो पड़ोस में होते हैं, दुराचार और अपराध को जन्म देने वाले स्थान बन जाते हैं ।

सिनेमा और अश्लील साहित्य

आज कल घर परिवार में मनोरंजन माध्यम के रुप मे दूरदर्शन व सोसिअल मिडिया में प्रसारित सिनेमा व अश्लील साहित्व सहज रुप से ग्राह्य वन गया है ।सिनेमा और अश्लील साहित्य जिनमें व्यभिचार, धूम्रपान, मदिरापान और क्रूरता का चित्रण होता है, किशोरों के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालते हैं । कई बार वे अपराध और उपचार करने का ढंग भी सिखाते है । घर के वडे वुजुर्गों का इन विषयों को सरल भाव से स्वीकार कर लेना किशरों के मन मस्तिष्क पर भी प्रभाव डालता है । हमारे देश के विभिन्न भागों से कई बच्चे साधारण चोरी, सेंध लगाकर चोरी, और अपहरण करने के लिए उन्हीं शैलियों का उपयोग करने पर गिरफ्तार किए जाते हैं । उन्होंने स्वीकार किया है. कि उन्होंने ऐसी प्रक्रियाओं को सिनेमा में देखा है । इन चलचित्रों से ऐसी मनोवृत्तियाँ बन जाती है, जो सरलता से पैसा बनाने की इच्छाओं को जाग्रत करके, उसकी प्राप्ति के लिए सदिग्ध तरीके सुझाकर, अपने को जोखिम में डालने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देकर, कामवासना को भड़काकर और दिवा स्वप्न देखने की आदत बना कर अपराधी व्यवहार उत्पन्न करते हैं ।

निष्कर्ष

अपराध एक प्रकार का आत्म प्रकाशन तथा व्यवहार है । किशोर अवस्था के अपराध भी स्वाभाविक व्यवहार के ढंग हैं,केवल उनका परिणाम समाज तथा व्यक्ति के लिए अहितकर होता है । अतः समाज को इस अहितकर स्थिति से बचाने के लिए मनोवैज्ञानिक की सहायता से अभिभावकों तथा अध्यापकों को यह देखना होगा कि बच्चे के अपराधी आचरण की कारणीभूत कौन सी असंतोषजनक स्थितियाँ विद्यमान है । रोग के कारण को दूर कर दीजिए,रोग दूर हो जाएगा,यह चिकित्साशास्त्र का सिद्धांत है । अपराधी व्यवहार भी सामाजिक रोग हे । इसके कारण असंतोषजनक स्थिति को दूर करने पर अपराधी व्यवहार स्वयं समाप्त हो जाएगा और अपराधी बालक बड़ा बनकर समाज का योग्य सदस्य तथा देश का उत्तरदायित्व पूर्ण नागरिक बन सकेगा जिसका शुरुआत परिवार की स्थिरता, समृद्धता, स्वस्थता संस्कार सापेक्षता पर आधारित है ।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

संदर्भ ग्रंथ:-

https://wcd.nic.in/sites/default/files/171861.pdf से 12 जनवरी 2019 को पुनप्राप्ति.
Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2016
Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2016 (3.02 MB)
अस्थाना, एम. & राय, ए. (2012). आधुनिक परामर्शनमनोविज्ञान. पटना: मोतीलालबनारसीदास.
आहूजा, आर. (2016). सामाजिक समस्याएं. जवाहर नगर, जयपुर: रावत पब्लिकेशन.
गुप्ता, एस. पी. (2015). अनुसंधान संदर्शिका–सम्प्रत्यय, कार्यविधि एवं प्रविधि. इलाहाबाद: शारदा पुस्तक भवन.
बाल अपराध, प्रस्तावना. https://hi.wikipedia.org/wikipedia
राव, एन. सामाजिक परिपक्वता मापनी (बुकलेट). आगरा: नेशनल साइकोलॉजिकल कारपोरेशन.
सिंह, ए. के. (2014). मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ. पटना: मोतीलालबनारसीदास.
सिंह, ए. के. (2016). आधुनिक असामान्य मनोविज्ञान. पटना: मोतीलालबनारसीदास.
सिंह, ए. के. (2017). उच्चतर सामान्य मनोविज्ञान. पटना: मोतीलालबनारसीदास.
सिंह, ए. पी. (2013) व्यावहारिक मनोविज्ञान. (पियरसनकॉपीराईट). पब्लिकेशन बाय डोरलिंगकिन्देर्स्ले (इंडिया) न्यू दिल्ली.

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies